

राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर।
क्रमांक स03-6(5)स्था/मंत्रा/अभि/2017/16891-950


दिनांक : 15/11/17

निर्देश

राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1999 के नियम 32-33 के अन्तर्गत विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा पर गैर अनुसूचित क्षेत्र के निम्नलिखित कनिष्ठ सहायक (लिपिक ग्रेड-द्वितीय) को वरिष्ठ सहायक (लिपिक ग्रेड-प्रथम) के पद पर वर्ष 2016-17 की रिक्तियों के विरुद्ध राजस्थान पुनरीक्षित वेतनमान 2008 के वेतन बैंड (1) 5200-20200 तथा ग्रेड पे न. (10) 2800/-में कार्यभार संभालने की तिथि से पदोन्नत किया जाता है।

क्र.सं.	वरिष्ठता क्रमांक	नाम कार्मिक	वर्तमान पदस्थापन	वर्ग	रिक्ति की दिनांक
1.	28	श्री हरवेन्द्र सिंह पुत्र श्री नेहरू सिंह	कार्यालय सहायक निदेशक अभियोजन - धौलपुर	सामान्य	दिनांक 1.4.2016
2.	60	श्री मनीष शर्मा पुत्र स्व. श्री धर्मदास शर्मा	कार्यालय सहायक निदेशक अभियोजन - पाली	सामान्य	दिनांक 1.4.2016

उपरोक्त पदोन्नत कार्मिकों का पदोन्नति पर, पद रिक्ति की तिथि से काल्पनिक वेतन निर्धारण तथा कार्यग्रहण की तिथि से नकद लाभ देय होगा। उपरोक्त पदोन्नति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक प. 13(5) साप्र/3/08 दिनांक 18.9.2017 द्वारा अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया गया है। उक्त कार्मिक पूर्व पदस्थापन स्थान पर वरिष्ठ सहायक के रिक्त पद पर कार्य करते रहेंगे।


(देवेन्द्र दीक्षित)
निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (अभियोजन) राजस्थान जयपुर।
2. समस्त उप/सहायक निदेशक अभियोजन, राजस्थान (मु.) सहित।
3. निजी सचिव, निदेशक अभियोजन।
4. अतिरिक्त निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (न्याय) राजस्थान जयपुर।
5. प्रशासनिक अधिकारी/अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी अभियोजन निदेशालय।
6. सम्बन्धित कार्मिक/निजी पत्रावली
7. रक्षित पत्रावली /समस्त शाखा, अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर।

712/-
15/11/17
निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर